



#### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

संख्या- 84 /2021/1868 /26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक

के0 रविन्द्र नायक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।

निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ। 2-

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई 2021

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-346/स0क0/शिक्षा-अ/07/ 52/2021-22, दिनांक-09.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2021-22 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है। वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने के कारण माह जुलाई से समय सारणी प्रारंभ की जा रही है।
- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत की

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	2	3
1	प्रदेश में खित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर उाटा बेस में सिमिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना जिला समाज करवाण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना तिवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर,अपलोड करके डिजिटल इस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठयक्रमदार कुल सीटों की संख्या सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके ठिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	15 जुलाई 2021 से 16 अगस्त 2021 तक
1Ų	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकायी स्पीड पोस्ट निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	15 जुलाई 2021 से 25 अगस्त 2021 तक

#### **ENGLISH TRANSLATION**

S. No.	FUNCTIONAL PROCEDURE	ALLOWED TIME PERIOD
1	2	3
1	The process of applying for inclusion in the master data base by the recognized educational institutions located in the state should be done through the Education Department, obtaining the password from the District Social Welfare Officer (new institutions) and filling/uploading the complete information in the master data and making it digital. To authenticate by signature. Digital signatures by all the institutions by entering/updating the information like type of course, total number of seats per course, fee determined by the competent level, course wise marks (in case of semester, including the marks of two semesters), name of course wise affiliating agency/university etc. To authenticate from.	15 July 2021 to 10 august 2021.

प्राचाया चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पीo जीo कालेज,गोरखपुर





### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

1वी	मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर रे प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठककम, पाठककम का प्रकार, पाठकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठकमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	सितम्बर 2021 (नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिगएजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाईन सल्यापित करना।	सितम्बर २०२१ तक
2 <b>ए</b>	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आनलाईन सत्यापित करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
2 वी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठयक्रम, पाठयक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	03 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अस्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठयक्रम, पाठयक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लाक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लाॅक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठयक्रम, पाठयक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीनीकरण (Renewal) के	छात्रों हेत
4	छित्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा।)	20 जुलाई 2021 से 28 अगस्त 2021 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	आनंताईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। (नोट:-22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं के डाटा को 01 अक्टूबर 2021 की	01 सितम्बर 2021 तक 22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक
8	भुगतान हेतु डाटा में सम्मिलित किया जायेगा।) छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनताइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/ छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	20 सितम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2021 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	6 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 तक

प्राचार्या चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

# **ENGLISH TRANSLATION**

		I
2	Within the state, the nodal officer of the concerned university and other affiliating agency and the district school inspector (for class 11-12) should mention the educational institution, course, type of course, number of seats and fees etc. and verify its authenticity online	From 11 august 2021 to 31 September 2021
4	Students should apply online. (Online application for students will continue from 20 July 2021 to 21 October 2021.)	From 20 July 2021 to 28 august 2021
6	The hard copy of the online application form should be submitted by the students to the educational institution along with the desired attachments.	Within four days of filling the application form, latest by 01 September 2021.
7	The educational institution should match the hard copy of the student's online application form and all the details of the student with the original records and receive the online application, verify and forward the online application.  (Note- forwarded from the institution from 22 July 2021 to 07 September 2021. The data of students for correct renewal will be included in the data for payment on 01 October 2021.)  payment on 01 October 2021)	Form 22 July 2021 to 07 September 2021

प्रातायाँ चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पीठ जीठ कालेज,गोरखपुर



# छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली





### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

	A2-2	
	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के सह	fi
	(Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा वे	30 सितम्बर 2021 त
	आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाल	ने
	छात्र/छात्राओं का एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मांग सुजित कराना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लांक डाटा वे	01 अक्टूबर 2021 त
	आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्रों के	1
	कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-nayment) के तहत PEMS गामली के गारण ने	- 1
	छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किय	
	जाना।	
कढ	n 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के	rember (D
	छात्र/छात्राओं हेत्	Side (Kenewal)
14	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना।	20 जलाई 2021 से 2
	and the state of t	
15	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल,	अक्टूबर 2021 तक छात्र द्वारा आनलाइन
	इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आप, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा	आवेदन पूर्ण करने तथ
	अवित्य का कर्माक र की जारिए करना किया जात प्रमाण पत्र की क्रमिक तथा	आवदन पूज करन तर
	आवेदन का क्रमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति	फाइनल प्रिन्ट आउट
	के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	निकालने से पूर्व तीन क
16	आनलाईन आवेदन पुत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों	दिवसों में।
	सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तव
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्र अभिलेखों से	
	छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं	22 जुलाई 2021 से 28
	आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	अक्टूबर 2021 तक
18	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं	
	एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	10 नवम्बर 2021 तक
	प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	ł
19	प्रसामिकता का जानताइन सत्यापत करना।	
	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं	29 अक्टूबर 2021 से 1
	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	नवम्बर 2021 तक
20		
20	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया	16 नवम्बर 2021 से 10
	जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	दिसम्बर 2021 तक
21	सिप्रेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	
21	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के	16 नवम्बर 2021 से 26
	। वागिन पर प्रदेशित किया जाना एवं आनलाइन आतेरन में की गारी निर्मेश को	नवम्बर 2021 तक
	। छात्र द्वारा ठाक करक पनः आतरन आनलारन यनित्र किया ज्यातः।	
22	अनिलाईन अविदन पत्र की बरियों को ठीक करके छात्र कार्य के क्या करना है	आवेदन पत्र भरने के 03
	वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	दिन के अन्दर विलम्बतम
		29 नवम्बर 2021 तक
23	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं	17 नवम्बर 2021 से 01
	चित्रं अभिवेखा से छोत्र-छोत्रों के समस्त वित्राग का विद्याग जीवार करन	दिसम्बर 2021 तक
	मिलीन किया जीना एवं आनलाइन आवेदन पनः प्राप्त करना अनुपतिन एवं	14 41 2021 114
	अश्रसारत करना।	
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य	02 दिसम्बर 2021 से 09
	३९१५ में विभिन्न निर्धारित बिन्द्र,थी एउ एनः एतीकाए किया नाम	दिसम्बर 2021 तक
	जनपदीय छत्रिवति स्वीकृति स्थिति दाम सन्देनसम्बद्धाः सर्वे क्या त्यान	10 दिसम्बर 2021 से 20
	वहां किय वर्ष सन्दर्भास्य होता के मानका में निर्मात के नावान नावान	दिसम्बर 2021 तक
	धात/छात्राओं का छात्रवान तथा प्रान्क प्रतिपति स्वीक्त क्या क	विसम्बर् २०२१ तक
	रारान विनामार्थ अधिकारी के डिजिटल सिग्रचर में म्लेकित होता लाक किया	
	OII-III	
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के	24 दिसम्बर 2021 तक
	जाधार पर एनं()आंड्रांसात की गांग हकाई से गांग मिल	टनायसम्बर् २०२१ तक
27	जनपद स्तरीय विभागाय अधिकारी के विकित्य क्रिकेट के	27 दिसम्बर 2021 तक
.,		
1.0	जायार पर कार्बागार के र गामार १० ००० मा के	27 14 11 41 2021 1147
	आधार पर कोषागार के ई-पेमेप्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र,छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया	2

नोट

उक्त समय-सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks/Promoted without marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

प्राचाया चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पीo जीo कालेज,गोरखपुर





#### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में 2-Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अप्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की 3-परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं

पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवत्ति 4-पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइब हो सके।

उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिवस का समारोह प्रत्येक जनपद में 5-आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय

अवगत करा दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावर्लियों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

> (के0 रविन्द्र नायक) प्रमुख सचिव

पु०सं०-84/2021/ 1868 (1)/26-3-2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र0लखनऊ।
- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ह- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- १०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(राकेशी कुमार) विशेष सचिव।

> चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पीo जीo कालेज,गोरखपुर